छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल
(फार्मेसी अधिनियम-1948 की धारा 19 के तहत गठित)
(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)
मकान न. – 40, आनंद नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006
फ़ोन: 0771-2444591, मो.न. 9425505779, ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

पत्र क्रमांक / सी.जी. / फार्मा / 2024 / 786 रायपुर, दिनांक : 14/09/2024

आवश्यक सूचना

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनिकी विश्वविध्यालय से फार्मेसी उत्तीर्ण करने वाले ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर में फार्मासिस्ट पंजीयन के लिए दिनांक 12 सितम्बर 2024 तक फॉर्म भरकर जमा किया है किन्तु फार्मासिस्ट पंजीयन क्रमांक (Pharmacist Registration No.) उन्हें आबंटित नहीं हुआ है, ऐसे सभी आवेदक आवश्यक रूप से दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक शासकीय कार्य दिवसों में सायं 4 बजे तक अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) करवाकर फार्मासिस्ट पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर पंजीयन कार्यवाही पूर्ण कर लेवें।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनिकी विश्वविध्यालय के अतिरक्त अन्य विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से फार्मेसी उत्तीर्ण करने वाले केवल वो उम्मीदवार ही उपस्थित होकर पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं जिनकी अंकसूची का सत्यापन सम्बंधित विश्वविध्यालय से इस कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। सत्यापन प्राप्त हो चुके उम्मीदवारों की सूचि प्रथक से वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथापि इस हेतु काउंसिल के मोबाइल नंबर 9425505779, 0771-2444591 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः उपरोक्तानुसार सूचित हो कि यदि आवेदक दिनांक 30 सितम्बर तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराते हैं तो उन्हें उक्त दिनांक के बाद से ऑनलाइन मोड से पुनः आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

समस्त फार्मेसी संस्थानों / फार्मेसी छात्रों / सर्वसम्बन्धितों को सूचनार्थ।

14/09/2024

(अश्वनी गुर्देकर)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल
रायपुर (छग)।